न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक
(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 10 / 2015
प्रविष्टि दिनांक 27.07.2015

1–रामचन्द्र पुत्र हरबक्श जाति मीना निवासी हनोतिया तहसील उनियारा(मृतक)
1/1–जगन्नाथी पत्नि रामचन्द्र निवासी हनोतिया तहसील उनियारा
1/2–बिहारीलाल पुत्र रामचन्द्र निवासी हनोतिया तहसील उनियारा
1/3–छोटू पुत्र रामचन्द्र निवासी हनोतिया तहसील उनियारा
1/4–बजराम पुत्र रामचन्द्र निवासी हनोतिया तहसील उनियारा
1/5–रामसिंह पुत्र रामचन्द्र निवासी हनोतिया तहसील उनियारा
1/6–सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र निवासी हनोतिया तहसील उनियारा
1/7–कंचन पुत्री रामचन्द्र निवासी हनोतिया तहसील उनियारा
1/8–सोहनी पुत्री रामचन्द्र निवासी हनोतिया तहसील उनियारा
1/9–आशा पुत्री रामचन्द्र निवासी हनोतिया तहसील उनियारा

.............प्रार्थीगण

बनाम

1–काशीराम पुत्र जयकिशन मीना निवासी काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी(मृतक)
1/1–प्रधाना पुत्र काशीराम जाति मीना निवासी काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी
1/2–मस्तराम पुत्र काशीराम जाति मीना निवासी काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी
1/3–केली पुत्री काशीराम जाति मीना निवासी काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी
1/4–कोरी पुत्री काशीराम जाति मीना निवासी काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी
1/5–प्रियंका पुत्री काशीराम जाति मीना निवासी काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी
1/6–रामबाई बैवा काशीराम जाति मीना निवासी काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी
2–आवंटन सलाहकार समिति जरिये एस.डी.ओ.टोंक

..........अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री शहाब अहमद खान,अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री लियाकत हुसैन,अभिभाषक अप्रार्थीगण

<u>निर्णय</u> **दिनांक 27.11.2017**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 07.02.1983 को काशीराम पुत्र जयकिशन जाति मीना को आ0ख0नं0 123/1 मे रकबा 1 बीघा भूमि वाके ग्राम हनोतिया तहसील उनियारा में आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

जिला कलेक्टर
टोंक

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी न्यायहित मे स्वीकार कर अभिभाषकगण की अन्तिम बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने दोराने बहस कथन किया कि प्रार्थी का उक्त भूमि पर काफी अर्से से कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी सख्या 1 व उसके परिवार का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा बल्कि आवेदकगण के पूर्वजो के समय से ही कब्जा चला आ रहा है और आवेदकगण बदस्तूर उस भूमि पर काबिज है। आवंटी ने सलाहकार समिति से वास्तविक तथ्यो को छिपा कर धोखे से आवंटन कराया है। विपक्षीगण ग्राम हनोतिया के ना तो निवासी है और ना ही भूमिहीन है। प्रतिपक्षीगण बून्दी के रहने वाले है। आवंटी ने आवंटन सलाहकार समिति को गुमराह कर आवंटन करवाया है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार की गई है तथा सुपुर्दगीनामा फर्जी तैयार किया गया है,क्योकि मौके पर भूमि खाली नही है।अतः आवंटन निरस्त किया जावे। अभिभाषक प्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टान्त आर.सी.सी. 1998 पृष्ठ 123,आर. आर.डी 1997 पृष्ठ 193,1998 पृष्ठ 589, 1999 पृष्ठ 486,डी.एन.जे 1997 पृष्ठ 131 उद्वरित किये हैं।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दोराने बहस कथन किया कि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण के पिता,पति काशीराम पुत्र जयकिशन मीना निवासी काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी को आ0ख0नं0 123/1 मे रकबा 1 बीघा भूमि वाके ग्राम हनोतिया तहसील उनियारा में दिनांक 07.02.1983 को आवंटन किया गया है तथा आवंटित भूमि दिनांक 24.02.1983 को सुपुर्दगी मे दी गई है। आवंटन के बाद अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिपक्षीगण जिला बून्दी मे निवास करने के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन रूल्स के अनुसार ही उक्त भूमि को आवंटित किया गया है।अतः प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अप्रार्थीगण के पिता,पति काशीराम पुत्र जयकिशन मीना द्वारा आवेदन पत्र भू–आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनाक 07.02.1983 को खसरा नम्बर 123/1 रकबा 1 बीघा भूमि वाके ग्राम हनोतिया तहसील उनियारा मे आवंटन किया गया है तथा आवंटित भूमि दिनांक 24.02.1983 सुपुर्दगी मे दी गई है। अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि पर पूर्व मे रामचन्द्र का कब्जा काश्त था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारीसान प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है,परन्तु इसकी तायद मे कोई दस्तावेजात साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया गया है।अभिभाषक प्रार्थीगण का यह भी तर्क है कि प्रतिपक्षीगण ग्राम हनोतिया तहसील उनियारा के निवासी ना होकर ग्राम काशीपुरा तहसील नैनवा के निवासी है। प्रार्थीगण द्वारा निवास स्थान को आधार मानकर लगभग 34 वर्ष उपरान्त आवंटन निरस्त करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है

जिला कलेक्टर टोंक

जो उचित प्रतीत नही होतां है। कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रावधानानुसार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रतिपक्षीगण के पिता,पति को भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाकर काशीराम पुत्र जयकिशन जाति मीना को दिनांक 07.02.1983 को ग्राम हनोतिया तहसील उनियारा की आराजी खसरा नम्बर 123/1 रकबा 1 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक